

II/बिग/सतना/कृ.सं/2018/0529

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)



1. लखनलाल कुशवाहा पिता नरइया कुशवाहा
2. बेवा चुनवादी काछी सा. उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना
- निगरानी

बनाम

श्रीमती सरुपिया पत्नी कुंजीलाल काछी सा. उचेहरा तहसील उचेहरा
जिला सतना म.प्र. - गैर निगरानी

सीमांकन के विरुद्ध निगरानी प्रकरण क. 35
ए/12/16-17 आदेश दिनांक 26.05.17 न्यायालय
श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील उचेहरा जिला
सतना (म.प्र.) के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व
संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं -

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सीमांकन के बने नियमों के विपरीत आदेश होने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि गैर निगरानी कर्ता ग्राम उचेहरा की आराजी खसरा नं. 511/1, 511/2, 511/3 सीमांकन की धारा 129 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इनसे लगी भूमियां निगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 की पुस्तैनी आराजी जिसमें पुस्तैनी समय से रिहायशी मकान निर्मित है तथा इसी में आम के पेड एवं सेप्टिंग टैंक तथा निस्तार जिसको

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक II/निग0/2018/0519

जिला-सतना

लखनलाल कुशवाहा/ श्रीमती सरूपिया काछी

(1)	(2)	(3)
<p>S-849</p> <p>M</p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजभान सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त उचेहरा, तह0 उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	